**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या - 924**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर**

**खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की अवसंरचना को सुधरना**

924. **डा के वी पी रामचन्द्र राव:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान मीडिया की खबरों की और आकर्षित कराया गया है कि खाद्य विनियामक अधिकारहीन और साधनहीन है तथा पैक किए गए खाद्य पदार्थों की बढ़ती संख्या की जांच करने के लिए कर्मचारियों के अभाव से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो खाद्य विनियमन तंत्र में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में, विशेषत: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की अवसंरचना में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के कार्यान्वयन और लागू करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है और उनके उत्तरदायित्व सौंपने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। जैसा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है, रेफरल प्रयोगशालाएं और एनएबीएल प्रत्यायित निजी प्रयोगशालएं अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार जांच करने के लिए सक्षम है। हालांकि कुछ अपवादों के साथ राज्य प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन करना आवश्यक होगा।

(ख) एवं (ग): खाद्य विनियामक ढांचे का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर ऐसे सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्रीय और राज्य सरकारों, दोनों द्वारा प्रयास किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*